

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1894/2012/कोटा

मैसर्स कैरीऑन फास्ट फूड,
1-क-14, दादाबाडी, कोटा।

बनाम

.....अपीलार्थी.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-पंचम, वृत्त बी, कोटा।

....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या - 2421/2012/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-पंचम, वृत्त बी, कोटा।

बनाम

.....अपीलार्थी.

मैसर्स कैरीऑन फास्ट फूड,
1-क-14, दादाबाडी, कोटा।

....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक।
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक।

....व्यवहारी की ओर से.

....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02.05.2018

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 13.08.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम, वृत्त बी, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये आरोपित कर राशि रूपये 1,99,954/- एवं ब्याज राशि रूपये 76,982/- को यथावत् रखते हुए कर राशि रूपये 2,30,239/- एवं ब्याज राशि रूपये 88,642/- को अपास्त किया है।
2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी का वर्ष 2008-09 का एकपक्षीय कर निर्धारण दिनांक 14.02.2011 को पारित किया जाकर राशि रूपये 5,31,837/- की मांग की गई। उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को पुनः खुलवाने हेतु व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। जिसे उन्होंने स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 15.06.2011 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नियत कर दिया। जिसकी पालना में व्यवहारी के प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत

लगातार.....2



किया कि दिनांक 27.05.2008 को व्यवसायी के व्यवसाय स्थल पर लगी आग में सारा सामान एवं रेकॉर्ड जल कर राख हो गया, जिससे वह रेकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.06.2011 पारित करते हुए मांग राशि रूपये 5,95,817/- कायम कर दी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2012 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर राशि रूपये 1,99,954/- एवं इस पर ब्याज राशि रूपये 76,982/- को यथावत् रखते हुए कर राशि रूपये 2,30,239/- एवं इस पर ब्याज राशि रूपये 88,642/- को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर व्यवहारी एवं विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. व्यवहारी की ओर से उनके विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवहारी एक पंजीकृत व्यापारी है एवं दिनांक 27.05.2008 को उनके व्यवसाय स्थल पर अचानक भयंकर आग लग जाने के कारण व्यवसाय स्थल पर रखा सारा सामान मय रेकॉर्ड आग में जलकर नष्ट हो गया। उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा 2007-08 की अवधि के चारों बिक्री विवरण प्रपत्र एवं ट्रेडिंग अकाउन्ट्स कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिसके अनुसार उनका क्लोजिंग स्टॉक 34,41,508/- का था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने 12.50 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर मांग राशि का आरोपण कर दिया।

6. अपने कथन को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि व्यवहारी कर मुक्त एवं कर योग्य दोनो प्रकार की वस्तुओं का व्यापार कर रहा था, परन्तु किसी भी व्यापारी पर कर का आरोपण तभी किया जा सकता है, जबकि उनके द्वारा किसी वस्तु का विक्रय किया गया हो, जबकि व्यवहारी का सम्पूर्ण सामान आग में जलकर नष्ट हो जाने के कारण उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बिक्री नहीं की गई है। अतः उन पर आरोपित कर एवं ब्याज अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जे.के.सिन्धेटिक्स लि. बनाम राजस्थान सरकार 94 STC पेज 422, मारूति वायर इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. बनाम एस.टी.ओ. 122 STC पेज 410 एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर बनाम हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पो 127 STC पेज 258 को उद्धरित किया है।

7. उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना विक्रय के व्यवहारी पर कर का आरोपण कर दिया गया, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वःविवकानुसार क्लोजिंग स्टॉक जो कि जलकर नष्ट हो चुका था, उस माल को कर मुक्त एवं कर योग्य मानकर कर एवं ब्याज का आरोपण कर दिया गया, जबकि बिना बिक्री के कर का आरोपण किया

लगातार.....3



जानां निरर्थक है। आगे उन्होंने अपने कथन में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर दिनांक 27.05.2008 को आग लग गई थी। जबकि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई एफ.आर. आर. में कोई भी खाता रोकड, खरीद बिल एवं फाईल इत्यादि के नष्ट होने की सूचना नहीं दी गई। आगे उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी का वर्ष 2007-08 की समाप्ति के दौरान क्लॉजिंग स्टॉक 34,41,508/- था, एवं उनके व्यवसाय स्थल पर आग दिनांक 27.05.2008 को लगी। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा आलौच्य वर्ष 2008-09 में कम्पोजिशन स्कीम में आने से पूर्व ही सम्पूर्ण कर का भुगतान कर देना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा करापवंचन की दृष्टि से कर का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्लॉजिंग स्टॉक 34,41,508/- को 12.50 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर उचित कर निर्धारण आदेश पारित किया है। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

9. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 का एकपक्षीय कर निर्धारण दिनांक 14.02.2011 को पारित किया गया। तत्पश्चात् उपायुक्त (प्रशासन), कोटा के आदेशानुसार कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 30.06.2011 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। दिनांक 27.05.2008 को व्यवसायी के व्यवसाय स्थल पर भयंकर आग लग जाने के कारण सारा सामान मय रोकड बही खातें जलकर नष्ट हो गये। व्यवहारी द्वारा अवधि 2007-08 के दौरान वैट में कार्य किया जा रहा था, एवं आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 में उनके द्वारा कम्पोजिशन स्कीम का लाभ ले लिया गया। राज्य सरकार के नियमानुसार वैट से कम्पोजिशन स्कीम में आने से पूर्व क्लॉजिंग स्टॉक पर सम्पूर्ण कर जमा करवाना आवश्यक है, जबकि व्यवहारी द्वारा कम्पोजिशन स्कीम में आने के दो माह पश्चात् दिनांक 27.05.2008 को आग लगी थी। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने क्लॉजिंग स्टॉक पर 12.50 प्रतिशत की दर से कर का आरोपण कर दिया गया, जो कि न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि व्यवहारी द्वारा कर योग्य एवं कर मुक्त दोनों प्रकार के माल का विक्रय किया जा रहा था।

10. व्यवहारी के प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि सम्पूर्ण माल आग में जल जाने के कारण माल का विक्रय नहीं किया गया, तो विक्रय के बिना माल पर कर का आरोपण नहीं किया जा सकता, उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वर्ष 2007-08 का वित्तीय वर्ष 31.03.2008 को समाप्त हो गया था, एवं 31.03.2008 को सम्पूर्ण कर जमा करवाये जाने के पश्चात् ही कम्पोजिशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। जबकि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर आग दिनांक 27.05.2008 को लगी थी, जो कि वैट वर्ष 2007-08 समाप्ति के 2 माह पश्चात् की है। इस पर व्यवहारी द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णय माननीय

लगातार.....4



उच्चतम न्यायालय के निर्णय जे.के.सिन्थेटिक्स लि. बनाम राजस्थान सरकार 94 STC पेज 422, मारुति वायर इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. बनाम एस.टी.ओ. 122 STC पेज 410 एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर बनाम हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पो 127 STC पेज 258 के आधार इस प्रकरण से भिन्न होने से इस पर लागू नहीं होते हैं।

11. इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर योग्य एवं कर मुक्त माल की गणना उचित रूप से की है, एवं प्रकरण को आंशिक रूप से स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उसे यथावत रखा जाता है।

12. फलतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील 1894/2012/कोटा एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील 2124/2012/कोटा दोनों अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

